प0 सं0–15/डी0एल0ए0 नवादा (रा0उ0प0)–04/12–3077/रा0, पटना–15, दिनांक–28/12/2012

समाहरणालय नवादा
जिला भू–अर्जन कार्यालय, नवादा।

अधिसूचना

भू–अर्जन दिनांक..............................

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– **समीचक**, थाना **बारिसलीगंज**, थाना नं0– **534** परगना– जिला– **नवादा** के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **राज्य उच्च पथ संख्या–83 (बागी–बरबीघा)** के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम **समीचक**, थाना न0– **534** के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश **0.0275** एकड़ के बराबर होता है।
जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:– **40 एवं 38 अंश खेसरा**
रकवा:– **0.0275 एकड़.**
जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर:– **41 & 40**

दक्षिण:– **38, 23 & 24**

पूरब:–

पश्चिम:– **Road & Road**

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम 1of 1894 की धारा 4 के उपबन्धों यथा संशोधित अधिनियम 1961 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है।
भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा के कार्यालय में देखा जा सकेगा।
अपर समाहर्त्ता नवादा, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा और उसके कर्मचारियों तथा इन परियोजनाओं के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भूमि पर जाने एवं उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 (क) की उपधारा (2) में यथा उपबधित या बिनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है। इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति तामिल होने के 30 दिनों के भीतर (साधारण प्रक्रिया में धारा 5 (A) एवं आपात प्रक्रिया में धारा 9 के अन्तर्गत हित सम्वद्ध रैयतो द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन समाहर्त्ता नवादा। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी नवादा के कार्यालय में दाखिल की गयी भू–अर्जन संबंधी आपतियों की सुनवाई किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी नवादा।	अपर समाहर्त्ता नवादा	समाहर्त्ता नवादा	सरकार के अपर सचिव

पी0टी0ओ0

ज्ञा0 सं0–15/डी0एल0ए0 नवादा (रा0उ0प0)–04/12–3077/रा0, पटना–15, दिनांक– 28/12/2012

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को (तीन प्रतियों में) सी0डी0 के साथ दो समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं उसकी प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, नवादा को नवादा जिला के अगले गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/12/12

सरकार के अवर सचिव।